(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड–II में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 39/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 23 नवम्बर, 2017

विषयः प्याज की निर्यात नीति– प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) रोपित करना।

सा0 आ0 (अ) विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 24.12.2015 की अधिसूचना सं0 29/2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 24.12.2015 की अधिसूचना सं0 29/2015–20 के पैरा 2 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं0 51 और 52 के मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात **31.12.2017 तक केवल साख पत्र (एलसी) के साथ प्रति मिट्रिक टन 850 अमरीकी डालर एफओबी के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अध्यधीन अनुमत होगा।"**

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज का निर्यात **31.12.2017 तक** केवल साख पत्र (एलसी) के साथ प्रति मिट्रिक टन 850 अमरीकी डालर एफओबी के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अध्यधीन अनुमत होगा।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/922/एएम 08/पीसी–3/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)